न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 118/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. बद्री पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार
2. सुल्तान पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार
3. मु0 मनोहरी बेवाह सूरजभान जाति कुम्हार
4. गिर्राज पुत्र सूरजभान जाति कुम्हार
5. धनसी पुत्र सूरजभान जाति कुम्हार
6. कल्याण पुत्र सूरजभान जाति कुम्हार

निवासीयान ग्राम गूंता तहसील बानसूर जिला अलवर

:------ अपीलांटस

बनाम

1 शिवराम पुत्र छाजूराम
2 जसवन्त पुत्र छाजूराम
3 इन्द्राज पुत्र उमराव
4 अमरसिंह पुत्र उमराव
5 महावीर पुत्र उमराव
6 बंशी पुत्र रामदेव जाति अहीर
7 तुल्ला पुत्र रामदेव जाति अहीर
8 रमेश पुत्र रामदेव जाति अहीर
9 कोयली देवी स्त्री हरदान जाति अहीर निवासीयान ग्राम गूंता तहसील बानसूर जिला अलवर

:--- असल रेस्पो0

17/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

10. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैंड होल्डर

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर,बानसूर

दिनांक 27.7.2009

उपस्थित :- वकील अपीलांट :- श्री अनिल कुमार गुप्ता

वकील असल रेस्पो0 :- श्री ब्रहम प्रकाश यादव

निर्णय दिनांक 17.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 76/09 में पारित निर्णय दिनांक 27.7.2009 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 15 एयर, जो साबिक खसरा नम्बर 106 रकबा 12 बिस्वा, हाल नम्बर 143 रकबा 24 एयर साबिक खसरा नम्बर 107 रकबा 19 बिस्वा, हाल नम्बर 144 रकबा 14 एयर साबिक खसरा नम्बर 108 रकबा 11 बिस्वा, हाल नम्बर 145 रकबा 30 एयर साबिक खसरा नम्बर 109 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम गूंता तहसील बानसूर दौराने बंदोबस्त सम्वत 2060 में बनाया गया है, जो आराजी विवादित है । इससे पहले इनके साबिक खसरा नम्बर बंदोबस्त सम्वत 2021 में 1188 मि0, 1189, 1201, 1186, 1187 मि0, 1264 मि0, 1265 मि0 थे । सम्वत 2019 की जमाबन्दी के खाता संख्या 38 में दर्ज साबिक आराजी खसरा नम्बरान में वादी संख्या 1 व 2 के दादा भोला पुत्र झूथा का 1/2 बैल यानि 1/16 भाग अर्थात 1 बीघा 12 के तथा वादी संख्या 3 ला0 5 के दादा मंगतू पुत्र मोहन 1/2 बैल यानि 1/16 भाग अर्थात 1 बीघा 12 बिस्वा के तथा वादी संख्या 6 ला 8 के पिता रामदेव पुत्र गोपाल एक बैल यानि 1/8 भाग

17/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अर्थात 3 बीघा 5 बिस्वा के खातेदार रहे हैं । परन्तु गत बंदोबस्त सम्वत 2021 में रकबा कम करते हुये गत साबिक आराजी से हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 12 बिस्वा, 107 रकबा 19 बिस्वा, 108 रकबा 11 बिस्वा, 109 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कायम करके प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का अधिकार नहीं है । उसे पुराने इन्द्राजात को रिपीट करना चाहिये था । अतः बंदोबस्त सम्वत 2021 से पूर्व के रिकार्ड अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत की गई है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत न्यायालय ने हमको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । दिनांक 15.6.2009 को वादीगण असल रेस्पो0 ने तहत अदालत में हमारे खिलाफ वाद पत्र प्रस्तुत किया । वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहत अदालत द्वारा तामील कराने के लिए तहसीलदार को 5 दिन का समय दिया गया तथा वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड तामील कराने के आदेश दिये जाकर वाद पत्र में दिनांक 22.6.09 नियत की गई थी । दिनांक 22.6.09 को तहत अदालत के द्वारा प्रतिवादी अपीलांट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुये उसी दिन तहसीलदार बानसूर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिनांक 25.6.09 नियत कर दी गई । दिनांक 25.6.09 को मोका रिपोर्ट नहीं आने पर अगली तारीख 10.7.09 नियत की गई थी । उसके बाद 17.7.09 व 21.8.09 नियत की गई थी । परन्तु दिनांक 21.8.09 से पूर्व ही दिनांक 21.7.09 को वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का प्रस्तुत कर दिया गया । उसी दिन गवाहों के बयान करवा दिये गये तथा बहस हेतु तारीख 23.8.09 नियत कर दी गई । परन्तु इससे पूर्व ही पीठासीन अधिकारी द्वारा काट छांट करके दिनांक 27.7.09 अंकित कर उसी दिन बहस सुनी जाकर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया । इस प्रकार सिद्ध है कि साजबाज होकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है और हमको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट का अवलोकन फरमावें, जिसके अवलोकन से सिद्ध हो जायेगा कि तामील फर्जी तरीके से कराई गई है । तामील कुनिन्दा ने हमारी तामील चस्पांदगी से बताई है । एक ही व्यक्ति ने सभी प्रतिवादीगण के नोटिस पर गवाही कर दी । ये कैसे सम्भव हो सकता है कि कोई भी प्रतिवादी घर पर ना मिले । पत्रावली पर

17/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादीगण को सूचित किया गया हो । इतना ही नहीं, जिस दिन डिक्री पारित की गई थी, उसी दिन इजराय का इन्तकाल भी खोल दिया तथा दिनांक 30.7.09 को इन्तकाल स्वीकार भी हो गया । रिकार्डेड खातेदार को नहीं सुना गया है । मुझे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है । बंदोबस्त विभाग ने साबिक रेकार्ड के अनुसार सही इन्द्राज किये हैं, इसलिये अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित की गई है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर हमारी सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

4 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि विद्वान वकील अपीलांट की बहस रेकार्ड से बाहर है । दावा प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.6.09 को नोटिस जारी कर अगली तारीख 22.6.09 नियत की गई थी । तामील कुनिन्दा अगर नोटिस लेकर जाता है और प्रतिवादी घर पर नहीं मिलता है तो मकान पर चस्पा करेगा और लेने से मना करता है तो इसकी टिप्पणी वह नोटिस पर करता है । ये कार्यवाही करके वह गवाहों के हस्ताक्षर/अंगूठा कराता है । ये लोग बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये, इसलिये एकपक्षीय की गई थी । अगर इनको लगता है कि डिक्री गलत पारित हुई है तो इनको अपनी इकतरफा खुलनवाने के लिये आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 का प्रा0 पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत करते । अपील में क्यों आये हैं । जहां तक मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आदेश 26 नियम 09 में यदि पीठासीन अधिकारी जी आदेश दे रहे हैं तो मौका रिपोर्ट तो बनेगी ही । विद्वान वकील ने मेरिटस के सम्बन्ध में बताया कि जमाबन्दी सम्वत 2015–19 में हमारा रकबा सही था, परन्तु बंदोबस्त विभाग ने गलत रकबा अर्थात हमारा रकबा कम दर्ज कर दिया । बंदोबस्त विभाग को इन्द्राज परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, उसे केवल साबिक इन्द्राजाता को दोहराने का ही अधिकार है । तहत अदालत का निर्णय सही है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कथन है कि इकतरफा होने पर हमारे पास 2 रेमेडी है – प्रथम, हम आदेश 9 नियम 13 के तहत अपनी इकतरफा खुलवा सकते हैं या द्वितीय, हम अपील में जा सकते हैं । हमने अपील का रास्ता चुना है ।

17/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य जोर इस तथ्य पर दिया है कि उनकी प्रोपर तामील नहीं हुई है, उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया है, इसलिये अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली में संलग्न तामील नोटिस एवं तहत न्यायालय की आदेशिकओं का अवलोकन किया । तामिल कुनिन्दा ने सभी प्रतिवादीगण के नोटिसों पर रिपोर्ट की है कि लेने से मना किया, खुले मकान पर चस्पा किया । ये नोटिस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट की पत्रावली में है । दावा पत्रावली के सम्मन नोटिसों में भी यही टिप्पणी तामील कुनिन्दा द्वारा की गई है और दोनों ही पत्रावलियों के सम्मन नोटिसों पर वे व्यक्तियों रतीराम व शिवदयाल की गवाही कराई है । यहां यह तथ्य गौर करने लायक है कि क्या सभी प्रतिवादीगण ने नोटिस सम्मन लेने से मना कर दिया । यह कैसे सम्भव है कि सभी प्रतिवादीगण नोटिस लेने से एक साथ मना कर रहे हैं । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट में सन्देह है । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में यह जाहिर है कि प्रतिवादीगण अपीलांटस की प्रोपर तामील नहीं हुई है अर्थात तामील कराने में सी0 पी0 सी0 के आदेश 09 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है ।

7 इसके पश्चात अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । तहत न्यायालय ने अपने इस निर्णय में अंकित किया है कि नायब तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि असल प्रतिवादीगण बदरी, सुलतान पिसरान प्रभाती को स्वयं उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित होने से इन्कार हो गये एवं जाहिर किया कि विवादित आराजी के मौके पर उनका कब्जा नहीं है । इस प्रकार नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर अविश्वास पर किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । तहत न्यायालय का यह निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ नहीं आता है अर्थात उन्होंने ना तो प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया, ना ही रिकार्ड व साक्ष्य का अवलोकन किया, मात्र नायब तहसीलदार की कब्जा रिपोर्ट के आधार पर संक्षिप्त आदेश पारित कर दिया । जबकि नियमित वाद में रेकार्ड एवं साक्ष्य का सम्पूर्ण विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया जाना चाहिये । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने एवं रेकार्ड तथा साक्ष्य का

17/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सम्पूर्ण विवेचन करके पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.7.09 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो वाद पत्र में अपीलांट को जवाब, रिकार्ड व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये गुणावगुण पर उन्हें सुनकर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक को उपस्थित हों ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/10/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner